



राष्ट्रीय आवास बैंक

(राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय)
प्रधान कार्यालय: कोर 5-A, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

निविदा दस्तावेज़

कंटेंट क्रिएटर्स के पैनल में शामिल करने हेतु

निविदा संदर्भ संख्या:

एनएचबी/एचएफए/एम्पैनलमेंट/सीडब्ल्यू/2026-27/01

जारी करने की दिनांक :

17 मार्च 2026

जमा करने की अंतिम दिनांक:

01 अप्रैल 2026, शाम 05: 30 बजे

माध्यम :

खुली निविदा (रुचि की अभिव्यक्ति – पैनल में शामिल करना)

जारीकर्ता: ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ
बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र
सम्पर्क : 011-3918-1232, 011-3918-7327
ईमेल : learning.development@nhb.org.in

1. बोली के महत्वपूर्ण विवरण		
1.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (दिनांक और समय)	23 मार्च 2026, समय बाद में सूचित किया जाएगा।
2.	बोली दस्तावेज़ प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	01 अप्रैल 2026, शाम 05: 30 बजे
3.	बोली खोलने की तिथि और समय	02 अप्रैल 2026, 11:00 बजे
4.	बोलियाँ खोलने का स्थान	ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र

नोट: -

- बोलियाँ उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएँगी, जो ऊपर बताए अनुसार उपस्थित होना चुनते हैं। उपरोक्त समय-सारिणी में परिवर्तन संभव है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से, अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी।

नोट: :

- यह निविदा दस्तावेज़ उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों और सेवाओं का विस्तार से वर्णन करता है जिनके लिए कंटेंट क्रिएटर जिम्मेदार होगा। इस निविदा में भाग लेकर, बोलीदाता यह परोक्ष रूप से पुष्टि करता है कि यदि कोई कार्य, गतिविधि, जिम्मेदारी या सेवा ऐसी है जिसका इस निविदा दस्तावेज़ में विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया है, या जिसका वर्णन तो किया गया है लेकिन नियामक/वैधानिक परिवर्तनों के कारण उसमें उचित बदलाव/संशोधन करने पड़ते हैं, और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए उन्हें आवश्यक या उचित माना जाता है, तो ऐसे कार्य, गतिविधियाँ, जिम्मेदारियाँ या सेवाएँ (यदि कोई लागू बदलाव हों तो उनके साथ) इस निविदा दस्तावेज़ के तहत सेवाओं के दायरे में निहित और शामिल मानी जाएँगी। बोलीदाता की प्रतिक्रिया भी उसी हद तक और उसी तरीके से मानी जाएगी, मानो उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों या सेवाओं का इस निविदा दस्तावेज़ में विशेष रूप से वर्णन किया गया हो।

खंड I

1.1 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), हाउसिंग फाइनेंस एकेडमी के लिए शैक्षणिक, तकनीकी, विनियामक और अंतर्राष्ट्रीय आवास वित्त सामग्री के विकास हेतु पैनल में शामिल होने के लिए, पात्र व्यक्तिगत सामग्री निर्माताओं, शैक्षणिक विशेषज्ञों, सेवा प्रदाताओं और पेशेवर फर्मों से आवेदन आमंत्रित करता है।

पैनल में शामिल होना एक वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

यह निविदा निम्नलिखित के अनुपालन में जारी की गयी है:

- जीएफआर 2017 नियम 173
- जीएफआर 2017 नियम 177
- जीएफआर 2017 नियम 188
- जीएफआर 2017 नियम 175
- सीवीसी खरीद दिशानिर्देश

खंड II

2.1 पृष्ठभूमि और उद्देश्य

राष्ट्रीय आवास बैंक एक सांविधिक संस्था है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त के लिए शीर्ष सांविधिक संस्था के रूप में, इस क्षेत्र में संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट विकासात्मक अधिदेश रखता है। जबकि उभरती आवश्यकताओं के लिए एक समर्पित संस्थागत फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है जो हम एक 'टैलेंट पाइपलाइन' का निर्माण करते हैं जो हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए तैयार करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के विकासात्मक अधिदेश और रोजगार सृजन तथा कौशल विकास से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, राष्ट्रीय आवास बैंक हाल ही में स्नातक हुए युवाओं और बेरोजगार युवकों

की क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान देता है। यह विशेष रूप से आवास वित्त से संबंधित क्षेत्रों में, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान, विनियामक समझ और आवास वित्त कंपनियों तथा संबद्ध संस्थानों के लिए प्रासंगिक कार्यात्मक कौशल से सुसज्जित करके ऐसा करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हाउसिंग फाइनेंस एकेडमी की स्थापना की प्रक्रिया में है। यह अकादमी भौतिक और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करेगी (जिसमें 'लाइव लर्निंग मॉडल'—जैसे वीडियो लेक्चर आदि—और 'स्व-अध्ययन मॉडल' दोनों शामिल होंगे)। यह प्रशिक्षण प्रकृति में मॉड्यूलर और हाइब्रिड होगा। इसके अलावा, यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक कोर्स के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एक उचित मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक, हाउसिंग फाइनेंस एकेडमी के लिए कोर्स सामग्री तैयार करने हेतु योग्य विषय विशेषज्ञों के पैनल में शामिल होने के लिए, और व्यवस्थित मल्टीमीडिया लर्निंग सामग्री तैयार करने हेतु कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग, वित्त और नियामक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए अनुभवी पेशेवरों और एजेंसियों को अपने पैनल में शामिल करना चाहता है।

इसका उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

- आवास वित्त विनियामक फ्रेमवर्क
- मोर्टगेज प्रणालियाँ
- विभिन्न प्रकार के आवास वित्त उत्पाद
- इन उत्पादों का विपणन
- परिचालन संबंधी पहलू (जिसमें विधिक और मूल्यांकन संबंधी पहलू शामिल हैं)
- एनपीए पहचान और प्रावधान मानदंड
- रिकवरी पहलू
- अंतर्राष्ट्रीय आवास वित्त सत्यापन फ्रेमवर्क
- अनुपालन पहलू, और नीतियां जैसे केवाईसी, पीओएसएच, एएमएल, विहसल ब्लोइंग आदि
- ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र
- सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि संचार, बातचीत करने के कौशल, साथ ही तनाव प्रबंधन आदि।

खंड III

कार्य का दायरा

पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स, आवास वित्त क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक, तकनीकी, विनियामक और पेशेवर शिक्षण सामग्री तैयार करेंगे; जिसमें आवास ऋण का लाइफसाइकिल, विनियामक और अनुपालन फ्रेमवर्क, कानूनी फ्रेमवर्क, मोर्टगेज प्रणालियां और आवास वित्त के क्षेत्र में उभरते रुझान शामिल होंगे।

3.1 मुख्य डिलीवरेबल्स:

पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स निम्नलिखित मल्टीमीडिया और अकादमिक कंटेंट तैयार करेंगे।

क्र.सं.	शीर्षक	कंटेंट रूपरेखा
1	अनुदेशात्मक वीडियो	विस्तृत अवधारणाओं और पेशेवर शिक्षण मॉड्यूल को कवर करने वाले पूर्ण-लंबाई के प्रशिक्षण वीडियो।
2	लघु वीडियो / माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स	त्वरित सीखने, दोहराने और डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों के लिए डिज़ाइन किए गए लघु अवधारणा-आधारित वीडियो
3	ऑडियो / वीडियो पॉडकास्ट	प्रमुख अवधारणाओं, नियामक ढांचे, उद्योग प्रथाओं और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑडियो / वीडियो आधारित शिक्षण मॉड्यूल।
4	डिजिटल पुस्तकें और प्रशिक्षण सामग्री	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संरचित पाठ्यक्रम पुस्तिकाएं, डिजिटल पुस्तकें, मैनुअल और केस स्टडी विकसित करना।
5	अभ्यास, स्व-मूल्यांकन परीक्षण, और विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करने की क्षमता।	इस संबंध में गेमिफिकेशन और एआई के उपयोग की अपेक्षा की जाती है।

3.2 कवरेज क्षेत्र:

कंटेंट में मोटे तौर पर ये शामिल होगा:

- आवास वित्त क्षेत्र का विहंगावलोकन
- विभिन्न प्रकार के आवास ऋण उत्पाद (ग्रीन हाउसिंग सहित) और उनका जीवन-चक्र
- बीमा कवरेज
- विभिन्न गैर-आवास ऋण उत्पादों के विवरण के साथ क्रॉस-सेलिंग के अवसर

- ऋण प्रसंस्करण, मूल्यांकन और ऋण निगरानी
- विनियामक और अनुपालन ढांचा (एनएचबी, आरबीआई, केवाईसी, एएमएल, पीओएसएच आदि)
- कानूनी फ्रेमवर्क, मोर्टगेज कानून, मूल्यांकन प्रक्रिया और वसूली तंत्र
- धोखाधड़ी की रोकथाम और साइबर सुरक्षा (फ्रंट-लाइन कर्मचारियों के लिए बुनियादी स्तर)
- ग्राहक सेवा, ऋण परिचालन और ग्राहक शिकायत निवारण
- आवास वित्त में प्रौद्योगिकी और उभरते रुझान
- शासन, नैतिकता और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाएँ
- सॉफ्ट स्किल्स जैसे संचार कौशल, बातचीत कौशल, तनाव प्रबंधन, संघर्ष प्रबंधन आदि

नोट: ऊपर सूचीबद्ध कार्य का दायरा केवल सांकेतिक प्रकृति का है। कार्य का विस्तृत दायरा, परियोजना की प्रकृति के आधार पर, वास्तविक कार्य सौंपे जाने के समय बताया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास उपरोक्त दायरे/कवरेज को विभिन्न भागों में विभाजित करने और उन्हें अलग-अलग हिस्सों में कई कंटेंट क्रिएटर्स को सौंपने का अधिकार सुरक्षित है।

खंड IV

पात्रता मापदंड

4.1 व्यक्तिगत आवेदक

न्यूनतम आवश्यकताएं:

- किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री
- कंटेंट राइटिंग/प्रशिक्षण सामग्री के विकास के क्षेत्र में न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव।
- बीएफएसआई / आवास वित्त / विनियामक क्षेत्र में अनुभव
- ऑनलाइन कोर्स बनाने में 2 साल का पिछला अनुभव

वांछनीय:

- नियामकों / बैंकों / शिक्षाविदों / एनबीएफसी / एचएफसी के साथ काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

4.2 फर्म / एजेंसियां / कंपनियाँ

न्यूनतम आवश्यकताएं:

- कम से कम 8 वर्षों से अस्तित्व में (निगमन के समय से)
- ऑफ़लाइन और ऑनलाइन, दोनों ही माध्यमों के लिए कोर्स डेवलपमेंट/कंटेंट क्रिएशन में कम-से-कम 5 वर्षों का परिचालन अनुभव।
- बीएफएसआई / आवास वित्त / विनियामक क्षेत्र में अनुभव (न्यूनतम 3 असाइनमेंट)

4.3 विवरण

जो भी व्यक्ति या फ़र्म/एजेंसियाँ पैनल में शामिल होना चाहती हैं, उन्हें अपने संगठनात्मक ढाँचे के बारे में एक लिखित विवरण जमा करना चाहिए। इस विवरण में उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, उनकी वित्तीय स्थिति और पहले किए गए इसी तरह के कामों का विवरण शामिल होना चाहिए। इस विवरण में, तैयार की गई सामग्री को स्थानीय भाषाओं में बदलने की उनकी क्षमता का भी उल्लेख किया जा सकता है।

खंड V

5.1 पैनल में शामिल होने की शर्तें

पैनल में शामिल होने की शर्तें:

- पैनल में शामिल होना, पैनल में शामिल होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह:

- पैनल में शामिल होने की अवधि बढ़ाना
- पैनल से हटाना

ऊपर Section IV में बताए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर कई कंटेंट क्रिएटर्स को पैनल में शामिल किया जाएगा। पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी विशेषज्ञता, उपलब्धता और प्रदर्शन के आधार पर, ज़रूरत के हिसाब से कार्य आदेश के ज़रिए काम सौंपा जाएगा।

पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा तैयार की गई सामग्री/कंटेंट के बौद्धिक संपदा/कॉपीराइट अधिकार विशेष रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक के पास रहेंगे।

पैनल में शामिल होने से किसी न्यूनतम कार्य की गारंटी नहीं मिलेगी।

खंड VI

6.1 चयन पद्धति

चयन तकनीकी मूल्यांकन (खंड XI में दिए गए मूल्यांकन मानदंड) पर आधारित होगा।

पैनल में शामिल होने के चरण पर किसी वित्तीय बोली की आवश्यकता नहीं है।

असाइनमेंट निम्नलिखित माध्यमों से प्रदान किए जाएंगे:

- जीएफआर 2017 के अनुसार, पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच सीमित बोली।

खंड VII

7.1 सामान्य नियम और शर्तें

पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स को

- मौलिक कंटेंट डिलीवर करें
- समय-सीमा का पालन करें
- गोपनीयता बनाए रखें
- राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्देशों का पालन करें।

क पैनल में शामिल क्रिएटर्स को राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

ख बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस निविदा और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी निर्देशों, फ़ॉर्मों, शर्तों और विशिष्टताओं को ध्यानपूर्वक पढ़े। निविदा दस्तावेजों में मांगी गई सभी जानकारी को निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत न करने, या ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने जो मूल रूप से अपेक्षित शर्तों के अनुरूप न हो, अथवा इस निविदा दस्तावेज के जवाब के रूप में अनावश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने पर, प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता है।

ग राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निविदा में किए गए ऐसे सभी संशोधन निविदा का अभिन्न अंग बन जाएंगे और इनकी सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर दी जाएगी। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर नज़र रखें।

- घ तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय बोलीदाताओं को इस निविदा दस्तावेज़ की हर एक पंक्ति पर विचार करना चाहिए। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने जवाब/बोलियाँ जमा करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक से किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। जमा की गई बोलियाँ हर तरह से पूर्ण होनी चाहिए और इस दस्तावेज़ के तहत अपेक्षित सभी डिलिवरेबल्स को पूरा करने वाली होनी चाहिए। अनुबंधित अवधि के दौरान, कार्य के दायरे के अनुसार हर एक चीज़ को डिलीवर करने की एकमात्र जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। यदि किसी आवश्यकता का अनुमान कम लगाया जाता है, या किसी आवश्यकता की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ङ राष्ट्रीय आवास बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए, आवश्यकताओं के विनिर्देशों में परिवर्तन कर सकता है और संशोधित बोलियाँ या निविदा प्रक्रिया की मांग कर सकता है।
- च राष्ट्रीय आवास बैंक इस निविदा के जवाब में प्राप्त किसी भी प्रस्ताव / बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए देर से या अधूरे प्रस्तावों सहित किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक अनुबंध की शर्तों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी बोलीदाता के साथ बैठक करने और चर्चा करने या किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम है और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- छ यद्यपि सेवा अवधि सुबह 9.00 बजे से रात 9.00 बजे तक तय की गई है, लेकिन राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी भी तत्काल आवश्यकता के मामले में, चयनित बोलीदाता को इस समय के बाद भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- ज बोलीदाता को परियोजना/अनुबंध के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव, कौशल-सेट आदि रखने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
- झ राष्ट्रीय आवास बैंक के पास किसी भी अतिरिक्त जानकारी की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है, और साथ ही, यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में, प्रस्तुत की गई जानकारी अधूरी है अथवा बोलीदाता अनुबंध के लिए पात्र नहीं है, तो किसी भी बोलीदाता के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अधिकार भी राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सुरक्षित है।

- ज प्रस्ताव/बोली जमा करके, बोलीदाता इस बात पर सहमत होता है कि उसे सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए वह राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ तुरंत अनुबंध निष्पादित करेगा। यदि चयनित बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ कोई वैध अनुबंध/सेवा स्तर समझौता निष्पादित करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक की उस बोलीदाता के प्रति सभी बाध्यताएं समाप्त हो जाएंगी, और किसी अन्य बोलीदाता का चयन किया जा सकता है
- ट सेवा का समय और उसकी गुणवत्ता, इस समझौते/अनुबंध का मूल तत्व हैं। इनका पालन न करना, अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
- ठ बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस निविदा दस्तावेज से संबंधित समस्त पत्राचार, नीचे उल्लिखित नामित संपर्क व्यक्तियों के माध्यम से करें:

सुश्री रीजा जयदीश उप महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग reeja.k@nhb.org.in संपर्क: 011-3918-1232	सुश्री श्रुति जैन प्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग shruti.jain@nhb.org.in संपर्क: 011-3918-7327
---	---

- ड निविदा दस्तावेज से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए दिनांक और समय पर प्री-बिड बैठक आयोजित करने का इरादा रखता है। कृपया ध्यान दें कि प्री-बिड मीटिंग के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण प्री-बिड मीटिंग में ही दिए जाएंगे। प्री-बिड मीटिंग में केवल बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
- ढ बोलीदाताओं द्वारा तैयार की गई बोली, साथ ही बोली से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज जो बोलीदाता और राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच आदान-प्रदान किए गए हैं, तथा सहायक दस्तावेज और मुद्रित साहित्य, अंग्रेजी में लिखे जाएंगे।
- ण बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई भी बयान/घोषणा, यदि बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में— या उसकी बोली/निविदा स्वीकार हो जाने की स्थिति में, अनुबंध के किसी भी चरण में—गलत, झूठा, अधूरा साबित होता है, या ऐसा पाया जाता है कि उसने निविदा दिए जाने से संबंधित कोई भी प्रासंगिक जानकारी छिपाकर रखी है, तो निम्नलिखित परिणामों के अतिरिक्त, उसकी/उनकी बोली(बोलियाँ)/निविदा(निविदाएँ)/अनुबंध(अनुबंध) रद्द किए जाने/समाप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे:

त यदि निविदा के चरण में ऐसा कोई बयान पाया जाता है, तो उसकी पूरी बयाना राशि/ई एम डी ज़ब्त कर ली जाएगी और टेंडर/बोली को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

थ यदि अनुबंध के चरण में ऐसा कोई कथन पाया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक से, अनुबंध को समाप्त करने के लिए निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित उचित कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पीबीजी को ज़ब्त करना भी शामिल है।

खंड VIII

भुगतान शर्तें

क भुगतान, सूचित किए गए डिलिवरेबल्स की स्वीकृति पर किया जाएगा।

- प्रति पृष्ठ के आधार पर
और
- प्रति मॉड्यूल के आधार पर
और
- प्रति असाइनमेंट के आधार पर

ख कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं है।

ग भुगतान के विस्तृत नियम, बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य की प्रकृति के आधार पर, पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स से वित्तीय बोलियाँ आमंत्रित करते समय प्रकाशित किए जाएंगे।

खंड IX

गोपनीयता

कंटेंट क्रिएटर और उसके कर्मचारी, इस अनुबंध की अवधि के दौरान या इसके समाप्त होने के बाद, राष्ट्रीय आवास बैंक की पहले से ली गई लिखित सहमति के बिना, प्रोजेक्ट, सेवाओं, इस समझौते या राष्ट्रीय आवास बैंक के व्यवसाय या संचालन से संबंधित कोई भी मालिकाना या गोपनीय जानकारी किसी को नहीं बताएंगे।

यदि आवश्यक हुआ, तो कंटेंट क्रिएटर और राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच एक अलग गैर-प्रकटीकरण सह गोपनीयता समझौता ("एनडीए") हस्ताक्षरित किया जाएगा।

उल्लंघन करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

खंड X

प्रस्तुतीकरण निर्देश

आवेदकों को अनुलग्नकों में दिए गए प्रारूप के अनुसार, निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

- आवेदन पत्र
- रेज्यूमे
- योग्यता प्रमाण
- अनुभव प्रमाण
- नमूना कार्य
- पैन / जीएसटी

इसके माध्यम से प्रस्तुत करें:

- ईमेल / पोर्टल / भौतिक जमा

खंड XI

9.1 मूल्यांकन मानदंड

a. ऊपर बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं पर ही मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। प्रस्तावों का मूल्यांकन नीचे दिए गए मूल्यांकन मानदंडों और अंक प्रणाली के आधार पर किया जाएगा:

वैयक्तिकों के लिए:

मानदंड	अधिकतम अंक	सहायक दस्तावेज़
योग्यता	10	प्रमाण पत्र/दस्तावेजी साक्ष्य
अनुभव	25	अनुभव प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज़।
सेक्टर विशेषज्ञता	25	संबंधित कोर्स प्रमाणपत्र, कार्य प्रोफ़ाइल, आदि।
नमूना कार्य	20	पाठ्यक्रम सामग्री का नमूना, जो प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान को प्रदर्शित करता है। पूर्व में पूर्ण किए गए असाइनमेंट और विकसित की गई पाठ्यक्रम सामग्री।

साक्षात्कार	20	राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष प्रस्तुति, जिसमें प्रोफ़ाइल, प्रौद्योगिकी-आधारित विकास का पर्याप्त ज्ञान, सामग्री की गुणवत्ता के नमूने, सक्षमता, संदर्भ की समझ आदि शामिल हैं।
कुल	100	

फर्मों / एजेंसियों / कंपनियों के माध्यम से आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए

मानदंड	अधिकतम अंक	सहायक दस्तावेज़
अनुभव	25	अनुभव प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज़.
सेक्टर विशेषज्ञता	25	संबंधित कोर्स प्रमाणपत्र, कार्य प्रोफ़ाइल, आदि।
नमूना कार्य	25	पाठ्यक्रम सामग्री का नमूना, जो प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान को प्रदर्शित करता है। पूर्व में पूर्ण किए गए असाइनमेंट और विकसित की गई पाठ्यक्रम सामग्री।
साक्षात्कार	25	राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष प्रस्तुति, जिसमें प्रोफ़ाइल, प्रौद्योगिकी-आधारित विकास का पर्याप्त ज्ञान, सामग्री की गुणवत्ता के नमूने, सक्षमता, संदर्भ की समझ आदि शामिल हैं।
कुल	100	

पैनल में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हक अंक: 70

- b. नोट: बोलीदाता को ऊपर बताए गए हर मापदंड के लिए सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियां देनी होंगी; ऐसा न करने पर बोली रद्द की जा सकती है। सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग मार्क पास कर लेने से कार्य आदेश की गारंटी नहीं मिल जाती। कार्य आदेश तकनीकी बोली के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।
- c. ऊपर बताए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर, कई कंटेंट क्रिएटर्स को पैनल में शामिल किया जाएगा। पैनल में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स को, जीएफआर 2017 और राष्ट्रीय आवास बैंक की खरीद नीति के अनुसार, उनकी विशेषज्ञता, उपलब्धता और प्रदर्शन के आधार पर, ज़रूरत के हिसाब से कार्य आदेश के ज़रिए काम सौंपा जाएगा।
- d. पैनल में शामिल होना निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा और किसी न्यूनतम असाइनमेंट की गारंटी नहीं देगा।

खंड XII

कार्य देना और पैनल में शामिल करना

सफल आवेदकों को पैनल में शामिल किया जाएगा। पैनल में शामिल होने का पत्र जारी किया जाएगा।

कई कंटेंट क्रिएटर्स को पैनल में शामिल किया जाएगा। सूचीबद्ध होने से काम के आवंटन की गारंटी नहीं है। कार्यभार विशेषज्ञता, उपलब्धता और प्रदर्शन के आधार पर और वित्तीय बोली प्रक्रिया के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

खंड XIII

हितों का टकराव

बोलीदाता यह घोषणा करेगा कि वह हितों के किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, और विशेष रूप से निम्नलिखित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेगा:

- (a) बोलीदाता संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय हितों के टकराव से बचेगा और सलाह या सेवा प्रदान करते समय हितों के टकराव की किसी भी संभावित घटना को पहले से ही राष्ट्रीय आवास बैंक के ध्यान में लाएगा।
- (b) बोलीदाता हर समय राष्ट्रीय आवास बैंक के हित में कार्य करेगा / प्रदर्शन करेगा और उच्चतम स्तर की पेशेवर ईमानदारी के साथ कोई भी सलाह / सेवा प्रदान करेगा।
- (c) बोलीदाता यह वचन देता है कि सफल बोली लगाने वाले के रूप में चुने जाने की स्थिति में, वह पेशेवर, निष्पक्ष और तटस्थ सलाह देगा, और हर समय राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों को सर्वोपरि रखेगा, चाहे भविष्य में कोई काम मिले या न मिले; और यह भी कि सलाह देते समय वह अन्य कार्यों और अपने निजी हितों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचेगा।
- (d) बोलीदाता यह घोषणा/पुष्टि करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने उसे किसी ऐसे कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया है जो अन्य नियुक्ताओं/खरीदारों के प्रति उसके पिछले या वर्तमान दायित्वों के साथ विरोधाभास में हो, या जो उसे ऐसी स्थिति में डाल दे कि वह राष्ट्रीय आवास बैंक के सर्वोत्तम हित में उस कार्य/अनुबंध को पूरा करने में असमर्थ हो जाए। उपर्युक्त की व्यापकता पर बिना किसी सीमा के, बोलीदाता आगे निम्नानुसार घोषणा/पुष्टि करेगा:
 - i. परामर्श गतिविधियों और वस्तुओं, कार्यों या गैर-परामर्श सेवाओं (यानी परामर्श सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं) की खरीद के बीच टकराव - राष्ट्रीय आवास बैंक ने बोलीदाता को किसी प्रोजेक्ट के लिए सामान, कार्य, या गैर-परामर्श सेवाएं देने के लिए नियुक्त नहीं किया है; न ही किसी ऐसे सहयोगी को, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोलीदाता को नियंत्रित करता हो, बोलीदाता द्वारा नियंत्रित होता हो, या बोलीदाता

के साथ किसी साझा नियंत्रण में हो। बोलीदाता को इस बात की पूरी जानकारी है कि उसे उन सामान, कार्यों, या गैर-परामर्श सेवाओं से उत्पन्न होने वाली, या उनसे सीधे तौर पर जुड़ी परामर्श सेवाएं देने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, बोलीदाता इस तथ्य से भी अवगत है कि यदि उसे किसी प्रोजेक्ट की तैयारी या उसके कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं देने हेतु नियुक्त किया गया है, तो उसे—या किसी ऐसे सहयोगी को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस फर्म को नियंत्रित करता हो, उस फर्म द्वारा नियंत्रित होता हो, या उस फर्म के साथ किसी साझा नियंत्रण में हो—उस तैयारी या कार्यान्वयन के लिए दी गई परामर्श सेवाओं से उत्पन्न होने वाले, या उनसे सीधे तौर पर जुड़े सामान, कार्य, या सेवाएं (परामर्श सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं) बाद में देने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- ii. यह प्रावधान उन विभिन्न फर्मों (कंटेंट क्रिएटर्स, ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं) पर लागू नहीं होता है, जो मिलकर किसी टर्नकी या डिज़ाइन और निर्माण अनुबंध के तहत बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं
- iii. परामर्श असाइनमेंट के बीच टकराव – बोलीदाता यह समझता है कि न तो बोलीदाता (जिसमें उसके कर्मचारी और सउप-कंटेंट क्रिएटर्स शामिल हैं), और न ही कोई ऐसा सहयोगी जो सीधे या परोक्ष रूप से फर्म को नियंत्रित करता हो, या फर्म द्वारा नियंत्रित होता हो, या फर्म के साथ किसी साझा नियंत्रण में हो, उसे ऐसे किसी असाइनमेंट के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो अपनी प्रकृति के अनुसार, बोलीदाता के किसी अन्य असाइनमेंट के साथ टकराव में हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण में सहायता कर रहे हैं, वे न तो ऐसी संपत्तियां खरीदेंगे, और न ही ऐसी संपत्तियों के खरीदारों को कोई सलाह देंगे। इसी तरह, किसी असाइनमेंट के लिए 'टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस' टीओआर) तैयार करने हेतु नियुक्त किए गए बोलीदाता को, उस संबंधित असाइनमेंट के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- iv. राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों के साथ संबंध – बोलीदाता को इस बात की जानकारी है कि अनुबंध नहीं दिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता का (जिसमें उसके विशेषज्ञ, अन्य कर्मचारी और, यदि अनुमति हो, तो उप-कंटेंट क्रिएटर भी शामिल हैं) राष्ट्रीय आवास बैंक (या प्रोजेक्ट लागू करने वाली एजेंसी) के किसी ऐसे पेशेवर स्टाफ़ के साथ कोई करीबी व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध है, जो निम्नलिखित में से किसी भी हिस्से में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, (i) असाइनमेंट के लिए टीओआर तैयार करना, (ii) कॉन्ट्रैक्ट के लिए चयन प्रक्रिया; या (iii) ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की देखरेख करना; बशर्ते कि इस संबंध से उत्पन्न होने वाला हितों का टकराव, चयन प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य तरीके से से नहीं किया गया है।

- v. एक बोलीदाता केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी अन्य प्रस्ताव में संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में: यदि बोलीदाता (संयुक्त उद्यम भागीदार सहित) एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या उनमें भाग लेता है, तो ऐसे सभी प्रस्ताव अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। हालाँकि, यह किसी परामर्श फर्म को उप-सामग्री निर्माता के रूप में, या किसी व्यक्ति को टीम सदस्य के रूप में, एक से अधिक प्रस्तावों में भाग लेने से नहीं रोकता है—बशर्ते परिस्थितियाँ इसकी अनुमति देती हों और निविदा द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो।

खंड XIV

पैनल से बाहर करना

राष्ट्रीय आवास बैंक, कंटेन्ट क्रिएटर को पैनल से बाहर करने के कम से कम पंद्रह (15) कैलेंडर दिनों की लिखित सूचना देकर (सिवाय नीचे पैराग्राफ (छ) में सूचीबद्ध घटना के, जिसके लिए कम से कम तीस (30) दिनों की लिखित सूचना देनी होगी), और यह सूचना इस खंड के पैराग्राफ (क) से (छ) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने के बाद दी जाएगी, इस पैनल से बाहर कर सकता है:

- क यदि सामग्री निर्माता निलंबन की सूचना प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बाद में लिखित रूप में अनुमोदित ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, निलंबन की सूचना में निर्दिष्ट रूप से, अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता का निवारण करने में विफल रहता है;
- ख यदि कंटेन्ट क्रिएटर दिवालिया हो जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है, या अपने लेनदारों के साथ ऋण से राहत के लिए कोई समझौता करता है, या देनदारों के लाभ के लिए किसी कानून का लाभ उठाता है, या लिक्विडेशन या रिसीवरशिप में चला जाता है (चाहे वह अनिवार्य हो या स्वैच्छिक);
- ग यदि कंटेन्ट क्रिएटर, इसके तहत मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामस्वरूप लिए गए किसी भी अंतिम निर्णय/पारित अर्वाड का पालन करने में विफल रहता है;
- घ यदि कंटेन्ट क्रिएटर, राष्ट्रीय आवास बैंक को कोई ऐसा बयान प्रस्तुत करता है जिसका राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और जिसके बारे में कंटेन्ट क्रिएटर जानता है कि वह असत्य है;
- ङ अगर, अप्रत्याशित घटना की वजह से, कंटेन्ट क्रिएटर कम से कम साठ (60) दिनों के लिए सर्विसेज का कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं दे पाता है; या
- च यदि राष्ट्रीय आवास बैंक के संज्ञान में यह आता है कि कंटेन्ट क्रिएटर द्वारा बोली दस्तावेज में या बाद के पत्राचार में किए गए कोई भी अभ्यावेदन और/या वारंटी झूठे पाए जाते हैं, और/या

कॉन्टेंट क्रिएटर /उसके कर्मचारी किसी भी धोखाधड़ी या आपराधिक कृत्य में शामिल पाए जाते हैं;

छ यदि राष्ट्रीय आवास बैंक, अपने विवेक से और किसी भी कारण से, इस पैनल में बाहर करने का निर्णय लेता है।

खंड XV

अप्रत्याशित घटना

यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध के तहत अपने किसी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्ष का संबंधित दायित्व, उस पूरी अवधि के लिए निलंबित रहेगा जब तक कि वह कारण बना रहता है।

यहाँ प्रयुक्त शब्द "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ होगा—दैवीय घटनाएँ, युद्ध, नागरिक दंगे, आग, बाढ़, तथा दोनों पक्षों की संबंधित सरकारों के ऐसे कार्य और नियम, जो इस अनुबंध के निष्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हों।

जब ऐसा कोई कारण उत्पन्न हो और जब वह समाप्त हो जाए, तो वह पक्ष जो यह दावा करता है कि उक्त कारण की वजह से वह अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में असमर्थ हो गया है, वह दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करेगा। इस सूचना में "अप्रत्याशित घटना" की श्रेणी में आने वाले कारण के शुरू होने का समय और उस कारण के समाप्त होने का समय शामिल होगा; यह सूचना, कारण के समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर दूसरे पक्ष को दी जानी चाहिए। यदि 'फोर्स मेज्योर' की स्थितियों के कारण डिलीवरी 2 (दो) महीने से अधिक समय के लिए स्थगित रहती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह अपने विवेक से, बिना किसी दायित्व के, इस अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द कर दे।

अप्रत्याशित घटना के कारण निलंबित संबंधित दायित्व के निष्पादन का समय, उस अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा कारण बना रहता है।

खंड XVI

विवाद समाधान

इस असाइनमेंट/काम से जुड़ा, उसके संबंध में, या उससे पैदा होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, या उसका उल्लंघन, आपसी बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। हालाँकि, अगर पक्ष

बिना किसी अनावश्यक देरी के उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा पाते हैं, तो उन्हें मध्यस्थता की प्रक्रिया के ज़रिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार सुलझाया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और कार्यवाही अंग्रेज़ी में की जाएगी। मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में एक अकेला यानी 1 (एक) मध्यस्थ होगा, जिसे दोनों पक्ष मिलकर, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लिखित रूप में पहली सिफारिश की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर नियुक्त करेंगे। यदि पक्ष ऐसे अकेले मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, अकेले मध्यस्थ वाला एक मध्यस्थता ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाएगा। इसके अनुसरण में मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी मध्यस्थता के सभी खर्च और लागतें शुरू में दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी, जो हालाँकि, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगी।

इसके बावजूद, यह सहमति है कि मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, कंटेंट क्रिएटर इस समझौते के तहत असाइनमेंट के लिए शेष काम जारी रखेगा, जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देश न दिया जाए, या जब तक मामला ऐसा न हो कि मध्यस्थ का निर्णय प्राप्त होने तक काम जारी रखना संभव न हो, जैसा भी मामला हो।

खंड XVII

17.1 आवेदकों के लिए निर्देश

क बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निविदा और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निविदा दस्तावेजों में मांगी गई सभी जानकारी को निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत न करने, या ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने जो मूल रूप से अपेक्षित शर्तों के अनुरूप न हो, अथवा इस निविदा दस्तावेज के जवाब के रूप में अनावश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने पर, प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता है।

ख राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निविदा में किए गए ऐसे सभी संशोधन निविदा का अभिन्न अंग बन जाएँगे और इनकी सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर दी जाएगी। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर नज़र रखें।

ग प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय बोलीदाताओं को इस निविदा दस्तावेज की प्रत्येक पंक्ति पर ध्यान देना चाहिए। बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रतिक्रियाएँ/बोलियाँ जमा करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक से किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। जमा की गई बोलियाँ हर तरह से पूरी होनी चाहिए और प्रोजेक्ट के तहत सभी अपेक्षित परिणामों को पूरा करने

वाली होनी चाहिए। अनुबंधित अवधि के दौरान कार्य के दायरे के अनुसार हर एक चीज़ को उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। यदि किसी आवश्यकता का कम अनुमान लगाया जाता है या किसी आवश्यकता की सही ढंग से व्याख्या नहीं की जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

घ राष्ट्रीय आवास बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए, आवश्यकताओं के विनिर्देशों में परिवर्तन कर सकता है और संशोधित बोलियाँ या निविदा प्रक्रिया की मांग कर सकता है।

ङ राष्ट्रीय आवास बैंक बोलियों की जाँच यह निर्धारित करने के लिए करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं; क्या सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न हैं और क्या बोलियाँ सामान्यतः क्रम में हैं, आदि।

च राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बोलियाँ जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद NHB को प्राप्त कोई भी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

छ बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी बोली में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

ज बोली खोलने की तारीख को और/या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख को, बोलीदाता को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग/व्यय विभाग या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए।

झ राष्ट्रीय आवास बैंक इस निविदा के परिणाम के बारे में सभी शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को यथाशीघ्र लिखित रूप में या डाक द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी किसी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

ञ राष्ट्रीय आवास बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए, प्राप्त हुई किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर दे। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों के प्राप्त न होने या उनकी डिलीवरी न होने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ट प्रत्येक बोलीदाता, इस निविदा के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस निविदा के नियमों और अस्वीकरण को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

17.2 प्री-कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट

वह व्यक्ति / फर्म / कंपनी, जिसे बैंक के साथ पैनल में शामिल करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसे बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में 'प्री-कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट' पर हस्ताक्षर करने होंगे; और केवल हस्ताक्षर करने के बाद ही, ऐसे व्यक्ति / फर्म / कंपनी को बैंक में पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इंटीग्रिटी पैक्ट के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में श्री जोजनेश्वर शर्मा (ईमेल आईडी: sharmajoj@gmail.com, पता: ओल्ड आरटीओ ऑफिस के पास, लखनऊ, 122, चंद्रलोक, अलीगंज, बखशी का तालाब, लखनऊ, 226024) और श्री राजेंद्र श्रीवास्तव (ईमेल आईडी: aaremes@yahoo.com, पता: सरुमोटोरिया, हेंग्राबारी, मकान नंबर 27, डॉ. जाकिर हुसैन पथ, कामरूप मेट्रो, गुवाहाटी, 781306) को नियुक्त किया है।

प्री-कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट में बताए गए प्रतिबंधों का सेट, किसी भी बोलीदाता द्वारा इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या वादों के उल्लंघन के मामले में लागू किया जाएगा।

बोली लगाने वालों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एक आचार संहिता (जिसमें रिश्त और अन्य अनैतिक व्यवहार के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया हो) और उस आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम रखें।

17.3 बोलियों की सीलिंग और चिह्नांकन

- बोली के भौतिक प्रस्तुतीकरण की स्थिति में, सभी लिफाफे राष्ट्रीय आवास बैंक को नीचे दिए गए पते पर भेजे जाएंगे :

ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400001
महाराष्ट्र

- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता का नाम, पता और संपर्क नंबर अंकित होना चाहिए।

- बोलीदाता प्रस्ताव वाले लिफाफों को सील कर देगा। लिफाफा बिना खिड़की वाला होना चाहिए और उस पर अलग से, जैसा लागू हो, "कंटेंट क्रिएटर्स के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफा सील बंद और चिह्नित नहीं है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलियों के के गुम होने या उसके समय से पहले खुल जाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।
- जिन बोलियों को ठीक से सील नहीं किया गया होगा, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें बिना किसी विचार के अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- बोली ऑनलाइन जमा करने की स्थिति में, ईमेल learning.development@nhb.org.in पर भेजा जा सकता है।

17.4 बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि

- बोलियाँ राष्ट्रीय आवास बैंक को ऊपर बताई गई बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक, निर्दिष्ट पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए।
- यदि बोलियाँ जमा करने के लिए निर्धारित तिथि को राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय तक स्वीकार की जाएँगी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक, अपने विवेक पर, राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोलियों के जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, जिस स्थिति में, राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व जो पहले समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद विस्तारित समय सीमा के अधीन होंगे।

17.5 देरी से प्राप्त बोलियाँ

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित बिड जमा करने की समय सीमा के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक को प्राप्त कोई भी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और बोलीदाता को बिना खोले ही लौटा दी जाएगी।

17.6 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बोलियों को खोलना

- निर्धारित तिथि और समय पर, राष्ट्रीय आवास बैंक समिति द्वारा बोलियाँ खोली जाएँगी; इस दौरान बोलीदाताओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे, जो निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में शामिल होंगे।

17.7 प्रतिबंधित या डीलिस्ट बोलीदाता

- बोलीदाता को यह घोषणा करनी होगी कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध-सरकारी अर्ध सरकारी एजेंसियों, पीएसयू या पीएसबी और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या डीलिस्ट नहीं किया गया है। यदि किसी बोलीदाता को किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसी, पीएसयू या पीएसबी और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि यह घोषणा नहीं दी जाती है, तो बोली को 'गैर-जवाबदेही' के आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यह घोषणा वाणिज्यिक बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

17.8 कानूनों का अनुपालन

क कंटेंट क्रिएटर/बोलीदाता वचन देता है कि वह राष्ट्रीय आवास बैंक को उन सभी कानूनों के बारे में सूचित करेगा, उनका पालन करेगा, उनसे जुड़ा रहेगा, उन्हें मानेगा और उनके अनुसार चलेगा, जो वर्तमान में लागू हैं या भविष्य में लागू हो सकते हैं; ये कानून उससे, उसके व्यवसाय से, उसके कर्मचारियों से, या कर्मचारियों के प्रति उसके दायित्वों से संबंधित या उन पर लागू होते हैं, और इस टेंडर के सभी उद्देश्यों के लिए भी लागू होते हैं। इसके अलावा, वह राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ़/कर्मियों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को किसी भी विफलता या चूक से होने वाले नुकसान से बचाएगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की हानि से मुक्त रखेगा, और उनका बचाव व संरक्षण करेगा। यह सुरक्षा उन सभी दावों या दायित्वों की मांगों के विरुद्ध भी होगी, और उन सभी परिणामों के विरुद्ध भी होगी जो उसकी ओर से उपरोक्त और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करने या उनके अनुरूप चलने में किसी भी चूक या विफलता के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

ख कंटेंट क्रिएटर इस प्रोजेक्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए, या किसी भी लागू कानून, सरकारी नियम/दिशानिर्देशों के तहत अपने खुद के बिजनेस को चलाने के लिए, जो भी सहमति, अनुमति, मंजूरी, लाइसेंस वगैरह ज़रूरी या अपेक्षित हों, उन्हें तुरंत और समय पर प्राप्त करेगा; और प्रोजेक्ट/एम्पैनलमेंट की अवधि के दौरान उन्हें वैध और लागू रखेगा। ऐसा करने में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, वह राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके

कर्मचारियों/अधिकारियों/स्टाफ/कर्मियों/प्रतिनिधियों/एजेंटों को सभी प्रकार के दायित्वों के दावों या मांगों से, और ऐसी किसी भी चूक या विफलता के कारण उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों से, क्षतिपूर्ति देगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें नुकसान से बचाएगा, उनका बचाव करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा और उन्हें पूरी तरह से मुआवजा देगा। यह दायित्व, ऊपर बताई गई बातों और उनसे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करने या उन्हें पूरा करने में कंटेंट क्रिएटर की ओर से हुई किसी भी चूक या विफलता के कारण उत्पन्न होगा। साथ ही, राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे किसी भी दावे या दायित्व की मांग की सूचना कंटेंट क्रिएटर को उचित समय के भीतर देगा

- ग यदि राष्ट्रीय आवास बैंक का विलय, एकीकरण, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्गठन, स्वामित्व में परिवर्तन होता है, या राष्ट्रीय आवास बैंक ज्ञानार्जन और विकास आदि के उद्देश्य से कोई स्वतंत्र संस्था स्थापित करता है, तो यह पैनल-सूची नई संस्था को हस्तांतरित मानी जाएगी, और ऐसे किसी भी कार्य से इस पैनल-सूची के अंतर्गत 'कंटेंट क्रिएटर' के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17.9 सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता

बोली लगाने वालों को बोली के दस्तावेजों में 'सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता' का पालन करने के संबंध में एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस घोषणा का प्रारूप और 'सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता' अनुबंध 'डी' के रूप में संलग्न हैं। इस संहिता के किसी भी उल्लंघन के मामले में, बोलीदाता न केवल पैनल से हटाए जाने का पात्र होगा, बल्कि वह अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जैसे कि अनुबंधों को रद्द करना, प्रतिबंधित करना और काली सूची में डालना, या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, आदि।

17.10 क्षेत्राधिकार और लागू कानून

.इस आरएफपी सहित इससे जुड़े सभी मामले, समय-समय पर लागू भारत के कानूनों (सारभूत और प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा शासित होंगे और नई दिल्ली में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

(किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

कृपया अनुलग्नक हेतु अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें